झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आ0 सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं० 04 / 2010 पार्ट–1 .... / राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, तदेन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हुसैनाबाद (संप्रति सेवानिवृत) के उक्त प्रमंडल में बरती अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प सं0– 1825 दिनांक– 26.02.2014 द्वारा सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें निम्न आरोप प्रतिवेदित थे :–

(i) कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व प्री लेवल नहीं लेना एवं उसकी जाँच असंबद्ध कार्यपालक अभियंता से नहीं कराना।

(ii) रामपुर तालाब जीर्णोद्धार योजना में 817740 / –रू0 का अनियमित भुगतान।

2. उक्त संकल्प में त्रुटिवश "सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा" के स्थान पर "सुरेन्द्र कुमार मिश्र" अंकित हो जाने के कारण विभागीय आदेश ज्ञापांक 3160 दिनांक 14.07.2017 द्वारा नाम में संशोधन किया गया तथा श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र के दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43बी में संपरिवर्तित किया गया।

3. उक्त विभागीय संकल्प में कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोप को प्रमाणित नहीं प्रतिवेदित किया गया। परन्तु समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा प्री लेवल की जाँच एवं असंबद्ध कार्यपालक अभियंता से सत्यापन के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर पाने और प्री लेवल के बिना जाँच / सत्यापन के कार्य कराने तथा जिस कार्य के लिए अग्रिम 31.03.2008 को दी गई उस कार्य का विपत्र इसके पूर्व दिनांक 26.03.2008 को ही समर्पित करने के कारण इन्हे अनियमितता में संलिप्त पाया गया। यह भी स्पष्ट हुआ कि मिट्टी मद में स्वीकृत राशि 399100 / – रू0 था जबकि इनके द्वारा 460003 / – रू0 का कार्य दिखाया गया।

उक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 4666 दिनांक 02.11.2017 द्वारा देय पेंशन से 10% की कटौती पाँच वर्षों के लिए का दण्ड प्रस्तावित करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. श्री मिश्र द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री मिश्रा द्वारा प्री लेवल की जाँच परम्परा के आधार पर असंबद्ध कार्यपालक अभियंता से नहीं करवाया गया था ओर न ही उनके द्वारा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्यस्थल का फोटोग्राफी लिया गया। अतः वे इस आरोप से मुक्त नहीं हो सकते।

इसी प्रकार रामपुर तालाब जीर्णोद्धार योजना की कुल प्राक्कलित राशि 817740 / – रू0 के भुगतान में मिटटी कार्य के लिए 399100 / – रू0, घाट निर्माण के लिए 425400 / –रू0 तथा दो आउटलेट निर्माण के लिए 72800 / – रू0 की स्वीकृति प्राप्त थी। जिसमें स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए उनके द्वारा मिटटी कार्य मद में स्वीकृत 399100 / – रू0 से अधिक 460003 / – रू0 का कार्य दिखाया गया है, लेकिन प्राक्कलन में डेविएशन किसके आदेश पर किया गया इसका कोई साक्ष्य उनके द्वारा नहीं दिया गया। यह आरोप उन पर प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा प्राक्कलित राशि से अधिक का कार्य कराया गया।

उपरोक्त परिप्रक्ष्य में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, तदेन कनीय अभियंता (संप्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है : –

पेंशन से "10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 05 (पाँच)वर्षों के लिए "

5. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार को अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह० / –

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 4186 / राँची,दिनांक 03/10/18/

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी / श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, सेवानिवृत कनीय अभियंता, फ्लैट नं०–B 303, चन्द्रा रेसीडेन्सी चेसायर होम रोड, पो०–बरियातु, जिला–राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/10/18
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव